आयुष्मान भारत योजना

कृषि कुंभ (जुलाई 2023),
खण्ड 03 भाग 02, पृष्ठ संख्या 119–120

आयुष्मान भारत योजना

प्रिया सिंह, डॉ0 संगीता गुप्ता एवं डॉ0 रूपेश सिंह
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर, उत्तर प्रदेश, भारत।
Email Id: pyup29@gmail.com

आयुष्मान भारत योजना या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, जिसे 23 सितम्बर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस योजना की घोषणा की इय योजना मे उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है ाइसके अन्तर्गत आने वाले प्रत्येग (बी0पी0एल) परिवार (लगभग 50 करोड़ लोग) इस योजना का प्रत्यक्ष लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा बाकी बची आबादी को भी इस योजना के अन्तगर्त लाने की योजना है।

आयुष्मान भारत योजना में दो प्रमुख तत्व है–

❖ राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना–

आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जो 10 करोड़ गरीब और कमजोर परिवारो (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को कवर करेगीं। यह हर परिवार के लिये प्रतिवर्ष 5 लाख रूपये के मूल्य के लिये माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर अस्पताल में देखभाल के लिये सहायता प्रदान करती हैं। योजना के लाभा के लिये पूरे देश में कही भी लागू करे जा सकते है और इस योजना के अर्न्तगत आने वाले लाभार्थी को देश भर के किसी भी सार्वजनिक या निजी अर्न्तगत अस्पताल से कैशलेश (बिना पैसे दिये) लाभ लेने की अनुमति होगी। एस0ई0सी0सी0 डेटाबेस मे दिये गये मानदंड के आधार पर तय होगा की किसे इय योजना का लाभ उठाने का हक है। यह लगभग 10.74 करोड़ गरीब वंचित ग्रामीण परिवारों और विस्तृत शहरी कर्मचारियो के परिवारों को लक्षित करेगा। यह परिवार एस0ई0सी0सी0 डेटाबेस जिसमें गांवो और शहरों दोनो के डेटा शामिल है के मुताबिक तय होगें।

❖ कल्याण केन्द्रः

स्वास्थ्य ओर कल्याण केन्द्र में प्रदान की जाने वाले सेवाओ की सूची में– गर्भवस्था देखभाल और मात्र स्वास्थ्य सेवाये, बाल स्वास्थ्य, जीर्ण संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, मानसिक बिमारी का प्रबन्धन, दंतो की देखभाल, बुजुर्ग के लिये आपातकालीन चिकित्सा शामिल है।

आयुष्मान भारत योजना की पात्रताः

बी0पी0एल0 धारक होना चाहिये परिवार किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नही होना चाहिये सरकार द्वारा चलायी गयी किसी भी

आवासीय योजना के तहत लाभ न लिया हो। आवेदक का सामाजिक आर्थिक जनगणना के आकड़ो में सम्मिलित हो।

योजना के उद्देश्य:

भारत मे एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी में ही अपना सम्पूर्ण जीवनकाल काट लेती है ऐसे मे यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाये तो पुरे परिवार के ऊपर इतना कर्ज हो जाता है कि यदि पूरी जिंदगी भर भी उसे चुकना चाहे तो नही कर सकते है। इसी को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा भारत में गरीबी की समस्या को देखते हुये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना शुरू की है जिसमें सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना 2011 की सूची मे है ऐसे सभी परिवार आयुष्मान कार्ड के लिये पात्र होगें।

योजना का लाभ कैसे ले:

भारत की बड़ी आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है गरीब परिवार मुश्किल से तो अपना खाना व अन्य सामान्य जरूरतों को पूरा कर पाता है। इस अवस्था में यदि घर का कोई सदस्य गम्भींर बीमारी से पीड़ित हो जाये तो इलाज के लिये धन जुटाना और भी परेशानी का कारण बन जाता हे इस से परिवार की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार द्वारा आयुष्मान योजना के द्वारा 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रूपये का सालाना फ्री बीमा दिया जा रहा है। आपको अपने नददीकी किसी भी जन सेवा केन्द्र पर अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड लेकर जाना हे आप अपनी व परिवार के सभी सदस्यों पात्रता चेक करवा सकते है यदि आपका परिवार इसके लिये पात्र है तो जनसेवा केन्द्र पर आपकों इसके लिये आवेदन करना होगा। आवेदन करने बाद आपको कुछ दिनों में एक गोल्डन कार्ड मिलेगा इसी प्रकार के कार्ड आपको परिवार के सदस्यो के लिये भी बनवाना होगा पूरे परिवार की सालाना लिमिट 5 लाख रूपये है जैसे– यदि परिवार के दो सदस्य बीमार हुये एक का अस्पताल का खर्च 4 लाख रूपये आता है और दूसरे का 2 लाख तो यहा पर आपको 5 लाख का ही लाभ होगा एक लाख रूपये का आपको भुगतान करना होगा। इस प्रकार से हम इस योजना का लाभ उठा सकते है।

आयुष्मान भारत योजना किसी भी जाति धर्म आधारित मतभेद के बावजूद भारत के गरीबो को लाभान्वित करती है यह 10 करोड़ परिवारों को कर्ज और वित्तीय संकट के बोझ से बचायेगा साथ ही यह योजना 2030 तक भारत को सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचायेगी।